अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

208/2023/225RTA हनुमान बनाम जिया वगैरह

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2023/208 श्री [illegible] श्री [illegible]	

हनुमान बनाम जिया वगैरह (2023/208)

20/12/24 पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 उपस्थित। अपीलांट हनुमान ने फर्द दस्तावेज पेश किया, जो शामिल मिसल हो। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 311/2023 बउनवान जीया उर्फ निशा पुत्री गोपाल जाट व अन्य बनाम हनुमान व अन्य का दिनांक 07.12.2023 को अंतिम निस्तारण हो चुका है। चुंकि मूल वाद का निस्तारण होने से प्रस्तुत अपील जो कि धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की है जो सारहीन हो चुकी है।

अतः अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुलें न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner